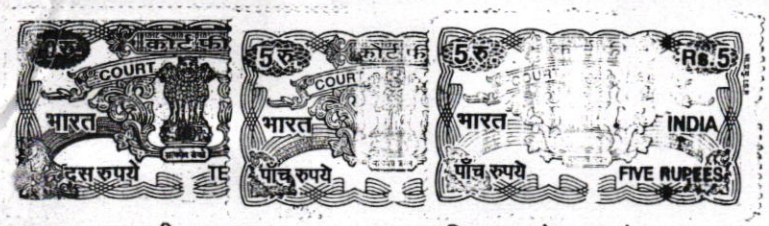

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. नि.ग–1534–I–16

सुरेन्द्र सिंह नाबालिग दत्तक पुत्र हजरत सिंह संरक्षक
प्राकृतिक : पप्पू पुत्र इमरत सिंह,
निवासी – नैनवास खुर्द, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.) ......... आवेदक

01. श्री मंगल सिंह मृतक द्वारा उत्तराधिकारी :–
श्री फूल सिंह, आयु लगभग 45 वर्ष
आत्मज स्व. श्री मंगल सिंह
निवासी-- ग्राम नैनवासखुर्द, तहसील लटेरी, जिला विदिशा (म.प्र.)

02. श्री इमरत सिंह मृतक द्वारा उत्तराधिकारीगण :–
1. श्रीमती रामकली बाई, आयु लगभग 50 वर्ष
पुत्री स्व. श्री इमरत सिंह, पत्नी श्री रमेश बाबू
निवासी– श्रीराम कॉलोनी, मालपुर, गुना
2. श्री पप्पू, आयु लगभग 45 वर्ष
आत्मज स्व. श्री इमरत सिंह
3. श्री गुड्डा, आयु लगभग 32 वर्ष
आत्मज स्व. श्री इमरत सिंह
4. श्रीमती मुन्नी बाई, आयु लगभग 42 वर्ष
पत्नी श्री जालम सिंह, क्र. 2 से 4 निवासीगण– विजयपुर,
तहसील राधौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)
5. श्रीमती गुड्डी बाई, आयु लगभग 39 वर्ष
पत्नी श्री प्राण सिंह, निवासी– विजयपुर, तहसील राधौगढ़,
जिला गुना (म.प्र.)
6. श्री सुनील, आयु लगभग 26 वर्ष
आत्मज स्व. श्री इमरत सिंह
7. श्रीमती बाला बाई, आयु लगभग 70 वर्ष
पत्नी स्व. श्री इमरत सिंह
क्र. 6 व 7 निवासी– ग्राम नैनवासखुर्द, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा (म.प्र.)

लगान 3.76 रूपये, कुल किता 4, कुल रकबा 3.858 हेक्टेयर, कुल लगान 11.95 रूपये की ग्राम नैनवास खुर्द, प.ह.नं. 9, तहसील लटेरी, जिला विदिशा में स्थित है। उक्त भूमियॉ राजस्व अभिलेख में अभी वर्तमान में हजरत सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति किरार के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है। हजरत सिंह का देहावसान दिनांक 13.11.2010 को ग्राम नैनवास खुर्द, तहसील लटेरी, जिला विदिशा में हो गया है। मृतक हज़रत सिंह ने अपने जीवनकाल में अपने भाई इमरत के पुत्र पप्पू के पुत्र सुरेन्द्र सिंह को जो कि आवेदक है, को दिनांक 15.06.2006 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार ग्राम में बुलावा करवाकर, हजरत सिंह ने आवेदक के नेचुरल माता–पिता से उनकी गोद में से लेकर अपनी गोद में बैठाया, तत्पश्चात बुलावा करवाया और दिनांक 22.06.2006 को तहसील कार्यालय आकर मृतक हजरत सिंह ने गवाहों के समक्ष में अपने स्वस्थ चित्त से बिना किसी धोंस दबाव के आवेदक के गोदनामे पर पंजीयन कराया है। हजरत सिंह की मृत्यु के पश्चात आवेदक ने हिन्दू

...2..

RN15-905

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1534-एक/16 **जिला** - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 05/12/18 | प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 263/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।<br>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नैनवार खुर्द स्थित भूमिस्वामी मृतक हजरत सिंह खसरा क्र. 20 रकवा 0.531, क्रमांक 21 रकवा 0.443, क्रमांक 24 रकवा 1.405, क्रमांक 25 रकवा 1.379 हे. का तहसीलदार लटेरी द्वारा गोदनामा के आधार पर आवेदक के नाम नामांतरण किया गया जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 06.12.2012 द्वारा अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 22.04.2016 द्वारा स्वीकार की गई एवं अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए गए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।<br>3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 16 हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 पर विचार नहीं किया है तथा समस्त साक्षियों के कथनों का सही विश्लेषण नहीं किया गया है, केवल एक साक्षी के कथनों का लेख कराया गया है।<br>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दो न्यायालयों के साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर दिए गए समवर्ती निष्कर्षों को बिना किसी विधिक आधार के | |

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-1534-एक/16 **जिला** - विदिशा

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | की जाती है एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2016 स्थिर रखा जाता है।<br><br>**(एम.गोपाल रेड्डी)**<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |